संख्या: 3/2019/126/छप्पन-2019-02/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2019

विषय: जनपद चित्रकूट में स्थित देवांगना शिखर पर राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में 63.269 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 15608 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रयोग अभिकरण द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक धनराशि एवं वृक्षों की छपान धनराशि जमा किये जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 1129/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 29 नबम्वर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद चित्रकूट में स्थित देवांगना शिखर पर राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 को पूर्व में अवमुक्त धनराशि रु0 49,50,65,370/-, जिसमें से धनराशि रु0 24,60,16,977/- उपलब्ध है, में से रु0 6,00,930/- की धनराशि का व्यय राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में 63.269 हे0 वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 15608 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रयोग अभिकरण द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक धनराशि एवं वृक्षों की छपान धनराशि जमा किये जाने जाने हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित जनपद चित्रकूट में स्थित देवांगना शिखर पर राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 को पूर्व में अवमुक्त धनराशि रु0 49,50,65,370/-, जिसमें से धनराशि रु0 24,60,16,977/- उपलब्ध है, में से रु0 6,00,930/- की धनराशि का व्यय राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में 63.269 हे0 वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 15608 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रयोग अभिकरण द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक धनराशि एवं वृक्षों की छपान धनराशि जमा किये जाने हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रु0 6,00,930/- (रुपए छ: लाख नौ सौ तीस मात्र) के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है |

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

III. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

IV. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |

V. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शासन को यथासमय सूचित किया जाएगा।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव |

संख्याः 3/2019/126(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, चित्रकूट ।
(4) जिलाधिकारी, चित्रकूट ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।